# संतकबीरनगर पुलिस

**जनपद - संतकबीरनगर　　प्रेस विज्ञप्ति　　दिनॉक 05-10-2021**

आज दिनांक 05.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता राजाराम पुत्र भगौती निवासी मेलानखुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 324 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** हे0कां0 अजय सिंह, हे0कां0 कामेश्वर सिंह।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

# संतकबीरनगर पुलिस

## <u>पीआरवी आफ द डे</u>

**<u>पीआरवी 2548 द्वारा मापीट में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u> –** पीआरवी <u>2548</u> को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत टेमारहमत से इवेन्ट संख्या 12244 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति (नाम पता राजकुमार पुत्र दयाराम ग्राम टेमारहमत, संतकबीरनगर) के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर घटना के संबन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान पचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आ0 नरसिंह यादव, आरक्षी लल्लन पासवान, हो0चा0 राजन प्रसाद।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनो से 33500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 05.10.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनो से 33500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।